"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नुगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अगस्त 2003—श्रावण 24, शक 1925

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2003

क्रमांक E-1-5/2003/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3-7-2003 द्वारा श्री आर. पी. जैन, (भा. प्र. से. 1990) को सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर पदस्थ किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

2. श्री आर. पी. जैन, (भा. प्र. से. 1990) को आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ महानिरीक्षक, पंजीयन का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

3. श्री ओंकार सिंह (RR-1982-रा. प्र. से. प्रवर श्रेणी) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप-सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. के. मिश्र**, मुख्य सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

# कृषि विभाग

## मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2003

क्रमांक 4399/डी. 15/184/03-04/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज (मंडी समिति वर्गीकरण) नियमन 1981 के नियम 03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों की गत तीन वर्षों की औसत आय के आधार पर मण्डी अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए निम्नानुसार वर्गीकृत करती है, अर्थात् :—

**प्रथम वर्ग की मण्डी समितियां**

| क्र. | मंडी का नाम | क्र. | मंडी का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | रायपुर | 7. | बालोद |
| 2. | नवापारा | 8. | राजनांदगांव |
| 3. | भाटापारा | 9. | बिलासपुर |
| 4. | धमतरी | 10. | सक्ती |
| 5. | कुरूद | 11. | रायगढ़ |
| 6. | दुर्ग | 12. | जगदलपुर |

**द्वितीय वर्ग की मण्डी समितियां**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | आरंग | 10. | बेमेतरा |
| 2. | बलौदाबाजार | 11. | कवर्धा |
| 3. | नेवरा | 12. | मुंगेली |
| 4. | राजिम | 13. | नैला |
| 5. | महासमुंद | 14. | अकलतरा |
| 6. | बसना | 15. | सारंगढ़ |
| 7. | बागबाहरा | 16. | खरसिया |
| 8. | सरायपाली | 17. | नारायणपुर |
| 9. | नगरी | | |

**तृतीय वर्ग की मण्डी समितियां**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | भटगांव | 10. | बांधाबाजार |
| 2. | गरियाबंद | 11. | छुरिया |
| 3. | कसडोल | 12. | लोरमी |
| 4. | अभनपुर | 13. | तखतपुर |
| 5. | खैरागढ़ | 14. | चांपा |
| 6. | डोंगरगढ़ | 15. | कटघोरा |
| 7. | डोंगरगांव | 16. | घरघोड़ा |
| 8. | गण्डई | 17. | पत्थलगांव |
| 9. | पिथौरा | 18. | अंबिकापुर |
| 19. | रामानुजगंज | 25. | केशकाल |
| 20. | पंडरिया | 26. | कांकेर |
| 21. | जयरामनगर | 27. | चारामा |
| 22. | कोटा | 28. | संबलपुर |
| 23. | सूरजपुर | 29. | गीदम |
| 24. | कोण्डागांव | 30. | कोंटा |

**चतुर्थ वर्ग की मण्डी समितियां**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | पेण्ड्रारोड | 7. | बैकुण्ठपुर |
| 2. | कुनकुरी | 8. | मनेन्द्रगढ़ |
| 3. | बगीचा | 9. | बीजापुर |
| 4. | सीतापुर | 10. | भोपालपट्टनम |
| 5. | प्रतापपुर | 11. | जशपुर नगर |
| 6. | कुसमी | | |

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2003

क्रमांक 4496/डी.15/188/2003/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश कृषि विभाग की अधिसूचना 3025-3050/चौदह-1/भोपाल, दिनांक 16-4-64 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी आरंग के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान सहित समस्त संरचना, आहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

**स्थान**

रायपुर जिले की आरंग तहसील में आरंग ग्राम के खसरा क्रमांक 3246/1 के 1 एवं 3246/1 के 3 की 6.070 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र.

**सीमाएं**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | उत्तर में | - | सुखिया पत्नि लखन से गंगाबाई पत्नि जगदीश तक की कृषि भूमि. |
| (2) | दक्षिण में | - | धुमरा भाठा मार्ग |
| (3) | पूर्व में | - | आरंग से कलारी फरफौद मार्ग |
| (4) | पश्चिम में | - | कोटवारी सेवा भूमि |

Raipur, the 21st July 2003

No. 4496/D.15/188/2003/14-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby declares that the following place including all structure, enclosure open place or locality in the market area for which Arang market has been established by Agriculture Department of Madhya Pradesh Government Notification 3025-3050/Fourteen-1/Bhopal dated 16-4-64 shall be market yard, namely :—

PLACE

An area of 6.070 hectare land of survey No. 3246/1 K 1 and 3246/1 K 3 in Village Arang in Tehsil Arang at Raipur District.

BOUNDED BY

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | On the North by | - | Agriculture land of Sukiya W/o. Lakhan to Gangabai W/o. Jagdish. |
| 2. | On the South by | - | Ghumara Bhata Marg. |
| 3. | On the East by | - | Arang to Kalari Pharphood Marg. |
| 4. | On the West by | - | Kotwari Sewa Bhumi. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. डी. पी. राव,** विशेष सचिव.

---

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक एफ 1-67/खाद्य/2003/29.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (क्र. 10 सन् 1955) की धारा 3, सहपठित, भारत सरकार, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति सम्भरण, मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता विभाग) के आदेश क्रमांक एस. ओ. 681 (ई) दिनांक 30-11-1974 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ केरोसीन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त आदेश में खण्ड 16 में उपखण्ड (1) तथा (3) में शब्द "आयुक्त तथा अतिरिक्त आयुक्त" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" स्थापित किया जाए तथा खण्ड 17 का लोप किया जाए.

2. उक्त आदेश के सारणी में अनुक्रमांक 4 तथा 19 का लोप किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनोहर पाण्डे,** संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2003

क्र. एफ 1-67/खाद्य/2003/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 मई, 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनोहर पाण्डे,** संयुक्त सचिव.

Raipur, the 8th May 2003

No. F 1-67/Food/2003/29.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with the order of the Government of India the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-operative) S. O. 681 (E) dated 30-11-1974, the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Kerosene Trader Licensing Order 1979, namely :—

AMENDMENTS

1. In the Said order sub clause (1) and (3) in clause 16 in place of the words "Commissioner and Additional Commissioner" the words "State Government" shall be substituted and clause 17 shall be omitted.

2. The Serial number 4 and 19 in the tablr, of the said order, shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOHAR PANDE, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2003

क्रमांक एफ-11-2/2002/खाद्य/29.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 मई, 2002 द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, रायपुर का गठन किया गया था, राज्य शासन एतद्द्वारा उसके सरल क्रमांक 2 में डॉ. पी. राघवन, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन, रायपुर एवं सरल क्रमांक 5 पर अंकित श्री सुब्रत साहू, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., रायपुर के नाम विलोपित करते हुए निम्नलिखित संचालकों को छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन लि., रायपुर के संचालक मंडल में तीन वर्ष के लिये अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, संचालक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से शामिल करता है :—

1. श्री पी. सी. दलेई, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग. — प्रबंध संचालक
2. श्री अमिताभ जैन प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन. — संचालक
3. श्री एम. आर. ठाकुर, प्रबंध संचालक, छ. ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., रायपुर. — संचालक
4. श्री सुधाकर गोखले, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर. — संचालक
5. श्री एम. एस. दुबे, उप-सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली. — संचालक
6. श्री हरीश केडिया, क्रांति नगर, जैन मंदिर मार्ग, बिलासपुर. — संचालक
7. श्री बी. बी. पटनायक, प्रबंधक (पी. एम.) केन्द्रीय भण्डारण निगम कार्पोरेट आफिस, नई दिल्ली. — संचालक
8. श्री आनन्द मिश्रा, अधिवक्ता, राजेन्द्र नगर, बिलासपुर. — संचालक

Raipur, the 31st July 2003

No. F-11-2/Food/2002/29.—Chhattisgarh State Warehousing Corporation, Raipur was constituted by notification dated 2nd May, 2002 of this department, the names of Dr. P. Raghavan, Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation, Raipur at Serial No. 2 and Shri Subrat Sahoo, Managing Director, Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., Raipur at Serial No. 5 are hereby deleted and the names of following Directors are hereby included, from the date of joining for a period of three years or until the age of super annuation, whichever is earlier.

1. Shri P. C. Dalei, Secretary, Government of Chhattisgarh Co-operative Department. — Managing Director
2. Shri Amitabh Jain, Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation, Raipur. — Director
3. Shri M. R. Thakur, Managing Director Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., Raipur. — Director
4. Shri Sudhakar Gokhle Dy. General Manager State Bank of India, Regional Office, Raipur. — Director
5. Shri S. S. Dubey, Deputy Secretary, Government of India Ministry of CA, F & P D, Department of Food & Public Distribution, Krishi Bhawan, New Delhi. — Director
6. Shri Harish Kedia, Kranti Nagar, Jain Mandir Marg, Bilaspur. — Director
7. Shri B. B. Patnaik, Manager (PM), Central Warehousing Corporation Corporate Office, New Delhi. — Director

8. Shri Anand Mishra, Advocate, Rejendra Nagar, Bilaspur. — Director

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनोहर पाण्डे**, संयुक्त सचिव.

---

## उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73-123/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "अंकुर यूनिवर्सिटी, बिलासपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "अंकुर यूनिवर्सिटी, बिलासपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 5th August 2003

No. F-73-123/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "ANKUR UNIVERSITY, BILASPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Bilaspur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "ANKUR UNIVERSITY, BILASPUR " to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73-136/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "बाबू बनारसीदास विश्वविद्यालय, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "बाबू बनारसीदास विश्वविद्यालय रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 11th August 2003

No. F-73-136/2003/H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "BABU BANARSIDAS UNIVERSITY, RAIPUR " with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "BABU BANARSIDAS UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. सी. सिन्हा**, सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2003

क्रमांक एफ-73-66/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "राजीव गांधी टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, दुर्ग" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय दुर्ग (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "राजीव गांधी टेक्नीकल यूनिवर्सिटी" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 25th June 2003

No. F-73-66/2003/H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "RAJIV GANDHI TECHNICAL UNIVERSITY " with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Durg (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "RAJIV GANDHI TECHNICAL UNIVERSITY " to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सी. एस. डेहरे,** अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2003

क्रमांक एफ-73-90/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "प्रियदर्शिनी आस्था विश्वविद्यालय" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "प्रियदर्शिनी आस्था विश्वविद्यालय" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 30th July 2003

No. F-73-90/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "PRIYADARSHNI AASTHA UNIVERSITY" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "PRIYADARSHNI AASTHA UNIVERSITY" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सी. एस. डेहरे,** अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73-86/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "आईएमई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलोजी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "आईएमई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलोजी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 1st August 2003

No. F-73-86/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "IME UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "IME UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, RAIPUR " to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सी. एस. डेहरे,** अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73-115/2003/38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "लवली यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "लवली यूनिवर्सिटी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 11st August 2003

No. F-73-115/2003/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "LOVELY UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "LOVELY UNIVERSITY, RAIPUR " to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सी. एस. डेहरे,** अवर सचिव.

# राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2003

क्रमांक/भू-अर्जन/2003/6687.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | छुईखदान | सिंगारपुर प.ह.नं. 4 | 2.44 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान. | सुक्तरा ज़लाशय के अंतर्गत सिंगारपुर माइनर नहर निर्माण कार्य में. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. के. श्रीवास्तव,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 जुलाई 2003

रा. प्र. क्र. 34/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | मुंगेली | बुंदेली | 2.06 | कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली. | आगर व्यपवर्तन योजना |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 जुलाई 2003

रा. प्र. क्र. 35/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | मुंगेली | जमहा | 0.33 | कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली. | पथरिया व्यपवर्तन योजना |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. पी. मण्डल,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/166.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | डभरा | कुसुमझर प.ह.नं. 9 | 2.086 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना संभाग, क्र. 4, डभरा. | कुसुमझर माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनोज कुमार पिंगुआ,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/3021.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | नयाबाराद्वार प.ह.नं.15 | 0.837 | कार्यपालन यंत्री/सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.). | प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधि. (रा.) एवं भू अर्जन अधिकारी सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1183.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | चिस्दा प.ह.नं. 29 | 0.228 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 2, चांपा. | हसौद वितरक नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जुलाई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1184.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चाम्पा | सोनादह प.ह.नं. 19 | 0.105 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग. क्र. 2, चांपा. | हसौद वितरक नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जुलाई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1185.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चाम्पा | बंसुला प.ह.नं. 18 | 0.345 | कार्यपालन यंत्री. मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा. | बंसुला माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जुलाई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1186.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चाम्पा | करनौद प.ह.नं. 17 | 0.335 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा. | करनौद माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जुलाई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1187.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | बिलारी प.ह.नं. 16 | 0.077 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | बिलारी माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जुलाई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1188.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | कोसला प.ह.नं. 14 | 0.117 | कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. | भवतरा उप शाखा नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जुलाई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1189.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | बर्रा प.ह.नं. 3 | 1.149 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती. | बर्रा माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जुलाई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1190.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | झालरौदा प.ह.नं. 3 | 0.166 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 6, सक्ती. | बर्रा माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जुलाई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1191.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | झालरौदा प.ह.नं. 3 | 1.572 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती. | झालरौदा माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जुलाई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1192.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | झालरौदा प.ह.नं. 3 | 0.182 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 6, सक्ती. | लोहराकोट माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जुलाई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1193.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | लोहराकोट प.ह.नं. 3 | 1.660 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती. | लोहराकोट माइनर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1194.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | भंवरेली प.ह.नं. 12 | 0.040 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा. | लखाली डि. ब्यू. के माइनर नं. 5 नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 जुलाई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/क्रमांक 4.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जांजगीर | हरदीविशाल प.ह.नं. 23 | 0.238 | वरिष्ठ प्रबंधक, निर्माण एन. टी. पी. सी., सीपत. | एन. टी. पी. सी., सीपत के अंतर्गत पंप हाऊस निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 जुलाई 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/क्रमांक 5.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जांजगीर | खैजा प.ह.नं. 27 | 1.071 | कार्यपालन यंत्री, प्रधान मंत्री ग्राम-सड़क योजना जांजगीर-चांपा. | प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मुख्य मार्ग से खैजा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. आर. सारथी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 2 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/43-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | बिलाईगढ़ | पवनी | 6.794. | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल. | लोवर सोनिया जलाशय के मुख्य नहर निर्माण कार्यहेतु. |

रायपुर, दिनांक 2 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/44-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमाक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | बिलाईगढ़ | छिर्रा | 0.233 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल. | लोवर सोनिया जलाशय के मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु. |

रायपुर, दिनांक 2 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/45-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमाक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | बिलाईगढ़ | रमतला | 0.373 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल. | लोवर सोनिया जलाशय के खुरसुला माइनर निर्माण कार्य हेतु. |

रायपुर, दिनांक 2 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/46-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमाक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | बिलाईगढ़ | खुरसुला | 1.673 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल. | लोवर सोनिया जलाशय के खुरसुला माइनर निर्माण कार्य हेतु. |

रायपुर, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/47-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमाक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासर्न, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | बिलाईगढ़ | गिरवानी प.ह.नं. 13 | 0.489 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल. | जोंक शाखा नहर क्रमांक 21 अनुपूरक. |

रायपुर, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/48-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमाक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | बिलाईगढ़ | गेड़ापाली | 21.537 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल. | ठाकुरदिया जलाशय डूबान क्षेत्र हेतु. |

रायपुर, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/49-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमाक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | बिलाईगढ़ | दर्रा | 32.132 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल. | ठाकुरदिया जलाशय डूबान क्षेत्र हेतु. |

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2003

क्रमांक /04/भू-अर्जन/अ-82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | आरंग | निसदा<br>प.ह.नं. 148/44 | 39.47 | कार्यपालन यंत्री, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर. | राजीव ऑगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत लिंक केनाल के निर्माण हेतु. |

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2003

क्रमांक /05/भू-अर्जन/अ-82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम सन् 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | आरंग | पंधी<br>प.ह.नं. 148/44 | 58.95 | कार्यपालन यंत्री, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर. | राजीव ऑगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत लिंक केनाल के निर्माण हेतु. |

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2003

क्रमांक /03/भू-अर्जन/अ-82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | आरंग | पारागांव प.ह.नं. 59/43 | 4.54 | कार्यपालन यंत्री, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर. | राजीव ऑगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत लिंक केनाल के निर्माण हेतु. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सी. के. खेतान**, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

---

## राजस्व विभाग
### कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
### राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-वांजीखोल, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.230 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 51 | 0.690 |
| 58 | 0.260 |
| 66 | 0.780 |
| 109 | 0.100 |
| 119 | 3.240 |
| 71 | 1.860 |
| 67 | 1.100 |
| 69 | 0.500 |
| 113 | 0.090 |
| 72 | 0.320 |
| 108 | 0.730 |
| 110 | 0.700 |
| 111 | 0.600 |
| 118 | 0.260 |
| योग 14 | 11.230 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा प्लान अ.वि.अ. घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 87/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-बोतल्दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.424 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 37/5, 43/2 | 0.024 |
| 39/1 | 0.024 |
| 39/2 | 0.036 |
| 148/7 | 0.150 |
| 148/15, 149/2 | 0.146 |
| 148/8 | 0.129 |
| 148/10 | 0.028 |
| 148/18 | 0.061 |
| 151/1 | 0.036 |
| 151/2 | 0.036 |
| 346/6 | 0.004 |
| 346/8 | 0.061 |
| 346/10 | 0.032 |
| 346/23 | 0.093 |
| 351/1 छ | 0.004 |
| 346/28 | 0.113 |
| 351/1 च | 0.069 |
| 352/1 घ | 0.057 |
| 352/1 ध | 0.045 |
| 352/1 प | 0.069 |
| 352/5 | 0.020 |
| 352/11 | 0.049 |
| 352/12 | 0.004 |
| 352/1 च | 0.134 |
| योग 24 | 1.424 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 88/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-सरवानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.207 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 365/3 | 0.081 |
| 368 | 0.045 |
| 366 | 0.081 |
| योग 3 | 0.207 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 89/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बाम्हनपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.057 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 144 | 0.138 |
| 155 | 0.069 |
| 152 | 0.162 |
| 153/1 | 0.061 |
| 456/1 | 0.202 |
| 156/1, 157/1 | 0.182 |
| 156/2 | 0.101 |
| ,159 | 0.028 |
| 173 | 0.259 |
| 160/3 | 0.097 |
| 175/2 | 0.121 |
| 172 | 0.117 |
| 171 | 0.036 |
| 175/1 | 0.170 |
| 175/3 | 0.069 |
| 341, 344/2, 342 | 0.712 |
| 350 | 0.036 |
| 177 | 0.045 |
| 337/6 | 0.206 |
| 337/2 | 0.061 |
| 337/1 | 0.166 |
| 337/5 | 0.061 |
| 337/4 | 0.207 |
| 339/1 | 0.170 |
| 336 | 0.032 |
| 339/2 | 0.028 |
| 340/2 | 0.077 |
| 349/2 | 0.069 |
| 351/2 | 0.215 |
| 356/1 | 0.101 |
| 356/3 | 0.040 |
| 351/3 | 0.615 |
| 352, 353 | 0.097 |
| 356/2, 355/2 | 0.089 |
| 456/4 | 0.182 |
| 176 | 0.036 |
| योग 36 | 5.057 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 90/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-सूती
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.818 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 3/8 | 0.202 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 3/12 | 0.028 |
| 3/9 | 0.053 |
| 3/7 | 0.182 |
| 3/6 | 0.012 |
| 20/3 | 0.008 |
| 3/2 | 0.137 |
| 21/3 | 0.125 |
| 21/1 | 0.016 |
| 21/4 | 0.053 |
| 21/5 | 0.008 |
| 20/4 | 0.137 |
| 73 | 0.182 |
| 20/20 | 0.057 |
| 20/18 | 0.040 |
| 20/7 | 0.069 |
| 74 | 0.263 |
| 72/1 | 0.012 |
| 70/1 | 0.028 |
| 100/4 | 0.008 |
| 100/3 | 0.012 |
| 100/2 | 0.040 |
| 100/5 | 0.049 |
| 102/3 | 0.032 |
| 103/2 | 0.049 |
| 104/5 | 0.077 |
| 107 | 0.089 |
| 122/2 | 0.016 |
| 106/1 | 0.073 |
| 108/2 | 0.239 |
| 108/5 | 0.198 |
| 128/3 | 0.109 |
| 133/1 | 0.061 |
| 133/4 | 0.024 |
| 130/2 | 0.089 |
| 20/5 | 0.186 |
| 130/3 | 0.073 |
| 125/2 | 0.045 |
| 125/1 | 0.162 |
| 133/3 | 0.008 |
| 123/3 | 0.097 |
| 121/3 | 0.081 |
| 121/12 | 0.081 |
| 121/7 | 0.134 |
| 121/5 | 0.024 |
| 121/4 | 0.012 |
| 118/8 | 0.134 |
| 117/7 | 0.081 |
| 117/10 | 0.008 |
| 117/12 | 0.053 |
| 117/17 | 0.113 |
| 117/21 | 0.081 |
| 117/16 | 0.073 |
| 117/11 | 0.008 |
| 425/6 | 0.255 |
| 425/13 | 0.178 |
| 425/3 | 0.061 |
| 425/4 | 0.061 |
| 427 | 0.126 |
| 458/1 | 0.032 |
| 456/5 | 0.032 |
| 477/ 657/3 | 0.040 |
| 121/1 | 0.121 |
| 456/1 | 0.077 |
| 476 | 0.057 |
| 425/7 | 0.142 |
| 477 | 0.081 |
| 425/5 | 0.049 |
| 3/11 | 0.162 |
| 470, 657/2, 458/2 | 0.113 |
| योग 70 | 5.818 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 91/अ-82/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-रजघटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.556 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 33 | 0.085 |
| 37/2 | 0.073 |
| 28/4 | 0.113 |
| 37/1 | 0.024 |
| 28/1 ग | 0.049 |
| 28/1 घ | 0.040 |
| 47/1 | 0.040 |
| 47/2 | 0.073 |
| 363/1 | 0.036 |
| 362 | 0.032 |
| 38/1 | 0.004 |
| 46/4 | 0.020 |
| 363/3 | 0.040 |
| 46/2 | 0.109 |
| 44/1 ग | 0.049 |
| 44/2 | 0.032 |
| 39/3, 43/1 | 0.073 |
| 39/5, 43/3 | 0.073 |
| 44/4 | 0.085 |
| 39/1 | 0.049 |
| 41/2 | 0.186 |
| 196/1 | 0.057 |
| 196/2 | 0.109 |
| 195 | 0.004 |
| 191 | 0.109 |
| 349/2 | 0.134 |
| 193 | 0.105 |
| 342/1 ख | 0.138 |
| 343/1, 343/2, 343/3 । 1 | 0.073 |
| 343/4 | 0.036 |
| 343/1, 343/2, 343/। 2 | 0.073 |
| 352/2 | 0.065 |
| 342/1 क | 0.045 |
| 344 | 0.154 |
| 349/1 | 0.020 |
| 341 | 0.158 |
| 350/1, 351 | 0.016 |
| 352/1 | 0.036 |
| 355/2 | 0.008 |
| 363/2 | 0.012 |
| 357 | 0.036 |
| 359/1 | 0.065 |
| 359/2 | 0.036 |
| 359/3 | 0.036 |
| 359/4 | 0.028 |
| 444 | 0.105 |
| 446/3 | 0.061 |
| 445 | 0.081 |
| 446/1 | 0.061 |
| 446/2 | 0.045 |
| 442 | 0.045 |
| 448/2 | 0.036 |
| 448/3 | 0.061 |
| 450/2 क | 0.049 |
| 449/2 | 0.061 |
| 452/1 | 0.040 |
| 353/3 | 0.016 |
| 448/1 | 0.045 |
| 40 | 0.012 |
| योग 59 | 3.556 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 98/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-भेलवाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.006 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
| --- | --- |
| (1) | (2) |
| 4, 5 | 0.069 |
| 7/1; 12, 13, 14 | 0.097 |
| 15/1, 2, 3 | 0.174 |
| 11 | 0.105 |
| 30/2 | 0.069 |
| 196 | 0.154 |
| 8/2 | 0.020 |
| 37/1, 2 | 0.206 |
| 31 | 0.109 |
| 50/2 | 0.101 |
| 50/3 | 0.040 |
| 50/4 | 0.227 |
| 34/1, 34/2 | 0.081 |
| 35/1, 35/3 | 0.150 |
| 38/1 | 0.162 |
| 39/1 | 0.198 |
| 39/2 | 0.077 |
| 200/2, 198/1 | 0.142 |
| 203/3, 201 | 0.089 |
| 202 | 0.053 |
| 189/3 | 0.081 |
| 188 | 0.049 |
| 185 | 0.081 |
| 187/1 | 0.040 |
| 186 | 0.040 |
| 184/2 | 0.065 |
| 206/4, 208/1 | 0.194 |
| 208/2 | 0.032 |
| 210 | 0.101 |
| योग 29 | 3.006 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 99/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-चपले
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.305 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
| --- | --- |
| (1) | (2) |
| 126 | 0.150 |
| 145/5 ख | 0.081 |
| 127/1 क | 0.130 |
| 145/17 | 0.004 |
| 145/18 | 0.024 |
| 145/16 | 0.024 |
| 532/1 क/10 | 0.008 |
| 145/15 | 0.061 |
| 145/3 | 0.008 |
| 145/2, 145/9, 145/10 | 0.061 |
| 533/5 क, 534/2, 537/2 | 0.061 |
| 157 | 0.024 |
| 532/1 क/2 | 0.020 |
| 116/13 | 0.024 |
| 281/5 | 0.020 |
| 735/3 | 0.130 |
| 160/1 | 0.105 |
| 116/14 | 0.024 |
| 116/5 | 0.053 |
| 158/2 | 0.146 |
| 160/2 | 0.012 |
| 116/3 | 0.134 |
| 116/9 | 0.077 |
| 282/3 | 0.012 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 116/10 | 0.077 |
| 115/8 | 0.024 |
| 284/4 | 0.032 |
| 740/5 | 0.012 |
| 109/3 | 0.093 |
| 109/4 | 0.081 |
| 109/2 | 0.049 |
| 158/3 | 0.012 |
| 158/1 | 0.020 |
| 158/899/1 | 0.069 |
| 736 | 0.142 |
| 731/1 | 0.012 |
| 732/2 | 0.081 |
| 272/1 | 0.041 |
| 272/2 | 0.028 |
| 272/3 | 0.028 |
| 272/7 | 0.057 |
| 272/4 | 0.057 |
| 532/1 ग | 0.024 |
| 530/1 ङ | 0.020 |
| 530/1 घ | 0.032 |
| 532/1 क/6 | 0.053 |
| 272/5 | 0.113 |
| 285/1 | 0.016 |
| 273/7 | 0.012 |
| 274 | 0.036 |
| 276/1 | 0.045 |
| 276/2 | 0.085 |
| 276/3 | 0.061 |
| 740/1 | 0.028 |
| 276/4 | 0.138 |
| 740/2 | 0.041 |
| 115/7 | 0.024 |
| 732/1 | 0.016 |
| 145/10, 145/2, 142/3 | 0.024 |
| 680/1 | 0.097 |
| 533/4, 534/1, 543/2, 537 \| 1 | 0.073 |
| 533/7, 534/5, 537/7 | 0.109 |
| 530/1 क | 0.012 |
| 530/1 ख | 0.004 |
| 532/1क/24 | 0.024 |
| 532/1 क/12 | 0.020 |
| 532/1 क/9 | 0.008 |
| 532/1 क/14 | 0.012 |
| 532/1 क/15 | 0.016 |
| 532/1 क/16 | 0.032 |
| 521/1 ख | 0.166 |
| 681/5 | 0.126 |
| 681/2 | 0.053 |
| 635/7 | 0.105 |
| 735/5 | 0.202 |
| 749/3 | 0.008 |
| 735/1 | 0.081 |
| 735/2 | 0.081 |
| योग 78 | 4.305 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 100/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-जैमुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.320 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 653/2 | 0.040 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 654/2 | 0.202 |
| 481/737/9 | 0.032 |
| 654/1 | 0.016 |
| 594/8 | 0.178 |
| 648/8 | 0.097 |
| 431/1 | 0.004 |
| 648/738 | 0.004 |
| 594/3 | 0.182 |
| 648/4 | 0.247 |
| 648/6 | 0.004 |
| 651 | 0.344 |
| 614 | 0.300 |
| 458/2 | 0.020 |
| 603/1 छ | 0.004 |
| 603/2 | 0.085 |
| 613 | 0.008 |
| 605 | 0.202 |
| 594/2 क | 0.004 |
| 602/1, 602/4, 602/5 | 0.166 |
| 446/2, 459/2, 460/2 | 0.182 |
| 600/1, 600/2 | 0.028 |
| 601/1 क, 601/2 | 0.162 |
| 596/1 | 0.004 |
| 594/5 | 0.004 |
| 594/2 ख | 0.170 |
| 449 | 0.291 |
| 448/1 | 0.073 |
| 450 | 0.061 |
| 483 | 0.089 |
| 448/2 | 0.065 |
| 455 | 0.012 |
| 447/1 | 0.032 |
| 459/1 | 0.117 |
| 458/1 ख | 0.113 |
| 463/2 | 0.138 |
| 458/4 | 0.069 |
| 485/1 | 0.057 |
| 481/733/5 | 0.125 |
| 484/4 | 0.073 |
| 482/1 | 0.077 |
| 480 | 0.008 |
| 481/5 | 0.049 |
| 481/2 | 0.077 |
| 482/10 | 0.049 |
| 481/1 | 0.170 |
| 481/733/8 | 0.049 |
| 524/3 | 0.166 |
| 526 | 0.004 |
| 462/1 | 0.004 |
| 594/1 | 0.016 |
| 528/4 | 0.077 |
| 529/1 क | 0.129 |
| 447/2 | 0.170 |
| 653/1 | 0.190 |
| 485/2 | 0.081 |
| योग 56 | 5.320 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुबोध कुमार सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 92/अ-82/2002-2003/4683.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बोतल्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.988 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 36/2 | 0.029 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 349/2 | 0.034 |
| 37/2 | 0.060 |
| 37/5, 43/2 | 0.021 |
| 46/5 | 0.024 |
| 37/3 | 0.008 |
| 344/11 | 0.051 |
| 38/1 | 0.008 |
| 43/3 | 0.007 |
| 352/10, 353/7, 352/13 | 0.117 |
| 128/1 | 0.012 |
| 134/1 | 0.004 |
| 129/3 | 0.037 |
| 335/7 | 0.022 |
| 343/4 | 0.002 |
| 355/1 | 0.012 |
| 349/3 | 0.020 |
| 161/2, 163/2, 163/3 (1) | 0.040 |
| 355/3 | 0.119 |
| 161/2, 163/2, 164/3 (2) | 0.040 |
| 164/10, 164/6 | 0.007 |
| 165/1, 165/9 | 0.010 |
| 349/7 | 0.202 |
| 352/4 | 0.057 |
| 351/1 च | 0.039 |
| 353/11 | 0.304 |
| 354/2 | 0.065 |
| 355/2 | 0.004 |
| 351/1 ज | 0.006 |
| 38/2 | 0.008 |
| 43/7 | 0.008 |
| 48 | 0.024 |
| 168/4 | 0.012 |
| 170/6 | 0.004 |
| 349/6 | 0.162 |
| 353/10 | 0.008 |
| 353/3 | 0.393 |
| 135/1 | 0.008 |
| योग 38 | 1.988 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 93/अ-82/2002-2003/4681.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-रतनमहका

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.971 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 109/2 | 0.028 |
| 145/1, 2 | 0.081 |
| 108/2 | 0.024 |
| 146/2 | 0.061 |
| 109/4 | 0.061 |
| 120/2 | 0.125 |
| 145/3 | 0.028 |
| 146/5 | 0.049 |
| 117/1 | 0.024 |
| 118/2 | 0.036 |
| 119/1, 2 | 0.032 |
| 119/5 | 0.081 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 119/6 | 0.032 |
| 120/1 | 0.040 |
| 121 | 0.049 |
| 122 | 0.036 |
| 143 | 0.049 |
| 144 | 0.024 |
| 147/1 | 0.045 |
| 147/3 | 0.032 |
| 147/4 | 0.146 |
| 150/2 ख | 0.008 |
| 148/1 | 0.061 |
| 150/2 क | 0.093 |
| 117/2 | 0.028 |
| 123 | 0.020 |
| 148/2 | 0.004 |
| 150/1 | 0.004 |
| 150/4 | 0.004 |
| 110, 111 | 0.053 |
| 146/4 | 0.125 |
| 282 | 0.020 |
| 283 | 0.004 |
| 287/10 | 0.057 |
| 287/2 | 0.069 |
| 287/3 | 0.028 |
| 287/4 | 0.024 |
| 287/6 | 0.117 |
| 287/1 | 0.169 |
| योग 39 | 1.971 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसियां शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसियां के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 94/अ-82/2002-2003/4686.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसियां

(ग) नगर/ग्राम-सोनबरसा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.549 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 149/2 | 0.004 |
| 149/4 | 0.016 |
| 177/1 ख | 0.020 |
| 177/2 | 0.065 |
| 177/3 | 0.045 |
| 176 | 0.008 |
| 149/5 | 0.113 |
| 173 | 0.113 |
| 149/3 | 0.040 |
| 172/3 | 0.040 |
| 189/3 | 0.008 |
| 189/2 | 0.036 |
| 193 | 0.077 |
| 194 | 0.020 |
| 195 | 0.085 |
| 221/2 | 0.024 |
| 221/1 | 0.053 |
| 220 | 0.130 |
| 196/1, 219/1 \| 1 | 0.073 |
| 196/1, 219/1 \| 2 | 0.045 |
| 229/2 | 0.065 |
| 234 | 0.004 |
| 236/1 | 0.061 |
| 235 | 0.057 |
| 236/4 | 0.004 |
| 241/1 | 0.028 |
| 241/3 | 0.121 |
| 241/6, 246/2 | 0.008 |
| 241/5, 246/1 | 0.057 |
| 241/7, 246/3 | 0.028 |
| 246/4 | 0.004 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 242 | 0.097 |
| योग | 32 | 1.549 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 95/अ-82/2002-2003/4684.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेडुमरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.325 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|---|
| | 59 | 0.158 |
| | 60/3 | 0.045 |
| | 62/2 | 0.045 |
| | 62/3 | 0.077 |
| योग | 4 | 0.325 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 96/अ-82/2002-2003/4680.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-जैमुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.652 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|---|
| | 676/2, 677/4 | 0.162 |
| | 674/1 | 0.016 |
| | 677/1 | 0.020 |
| | 673/6 क, 673/7 | 0.134 |
| | 673/6 ग | 0.004 |
| | 671/4 | 0.065 |
| | 673/5 | 0.081 |
| | 673/3 | 0.045 |
| | 673/12 | 0.024 |
| | 673/17 | 0.028 |
| | 673/9 | 0.045 |
| | 685/5 क, 686/1 | 0.016 |
| | 685/4, 686/4 | 0.012 |
| योग | 13 | 0.652 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 97/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-भैनापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.885 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 80/1 ग, 82/1 ग | 0.093 |
| 124/1, 123/1 | 0.101 |
| 123/3, 124/3 | 0.061 |
| 652/1 | 0.126 |
| 655/3 | 0.028 |
| 62/1 | 0.016 |
| 118 | 0.016 |
| 122/1 क | 0.032 |
| 122/4 | 0.097 |
| 122/1 ख | 0.113 |
| 116 | 0.081 |
| 117 | 0.130 |
| 114 | 0.020 |
| 80/1 ख, 80/2, 82/2 ख | 0.130 |
| 81 | 0.158 |
| 82/2 क | 0.105 |
| 80/1 क | 0.012 |
| 82/2 ङ | 0.032 |
| 82/2 घ | 0.028 |
| 97/2 | 0.070 |
| 97/1 | 0.032 |
| 98 | 0.028 |
| 95/2 | 0.012 |
| 99 | 0.012 |
| 91/1 | 0.077 |
| 91/2 | 0.032 |
| 90/5, 90/1 | 0.121 |
| 102/1 | 0.004 |
| 90/4 | 0.012 |
| 90/3 | 0.012 |
| 553/2, 553/666/2 | 0.163 |
| 553/4 | 0.061 |
| 557, 554/2 | 0.162 |
| 580/3 | 0.020 |
| 581/2 | 0.012 |
| 539/3 | 0.163 |
| 586/2 | 0.101 |
| 654/1, 654/2 | 0.231 |
| 533/3 | 0.178 |
| 653 | 0.004 |
| 639 | 0.004 |
| 652/5 | 0.109 |
| 651/1 | 0.178 |
| 659/2 | 0.187 |
| 659/1 | 0.069 |
| 658/4 | 0.105 |
| 658/1 | 0.016 |
| 658/3 | 0.105 |
| 658/2 | 0.004 |
| 580/1, 581/1 | 0.210 |
| 655/2 | 0.012 |
| योग 51 | 3.885 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. पिस्दा,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2003

प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2002/03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-पंधी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.344 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 80/2 | 0.344 |
| योग | 1 | 0.344 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खारून नदी पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. पी. मण्डल**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 12 मार्च 2003

क्रमांक 2028/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-दनिया, प.ह.नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.78 एकड़

| | खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 799 | 0.30 |
| | 800/1 | 1.01 |
| | 834/1 | 0.35 |
| | 817 | 0.72 |
| | 800/2 | 1.01 |
| | 832/1 | 0.24 |
| | 816 | 0.17 |
| | 831/1 | 0.20 |
| | 833/1 | 0.78 |
| योग | 9 | 4.78 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नर्मदा व्यपवर्तन के अंतर्गत डुबान एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 मार्च 2003

क्रमांक /भू-अर्जन/2003/2067.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीपारा, प.ह.नं. 19/2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.99 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 430 | 0.16 |
| 408 | 0.09 |
| 431/2 | 0.06 |
| 442/6 | 0.16 |
| 404 | 0.06 |
| 431/1 | 0.02 |
| 447 | 0.17 |
| 374 | 0.12 |
| 446 | 0.06 |
| 410/1 | 0.10 |
| 402 | 0.05 |
| 400/1 | 0.03 |
| 448 | 0.03 |
| 383 | 0.29 |
| 385/1 | 0.44 |
| 385/2 | 0.06 |
| 384/2 | 0.08 |
| 410/2 | 0.10 |
| 442/2 | 0.17 |
| 401 | 0.06 |
| 442/1 | 0.59 |
| 384/1 | 0.09 |
| 386/1 | 0.09 |
| 386/2 | 0.09 |
| 384/3 | 0.15 |
| 407/3 | 0.07 |
| 442/4 | 0.08 |
| 403 | 0.06 |
| 407/2 | 0.04 |
| 445/3 | 0.22 |
| 386/3 | 0.10 |
| 386/4 | 0.10 |
| योग | 3.99 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लमानी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर नाली हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक 2382/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम- बेंदरकट्टा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.14 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 145/2 | 2.14 |
| योग | 2.14 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेंदरकट्टा व्यपवर्तन के डूबान क्षेत्र के अंतर्गत.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्रमांक /भू-अर्जन/2003/3058.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अछोली, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.81 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 5/1 | 0.50 |
| 5/2 | 0.50 |
| 6/1 | 0.53 |
| 6/2 | 0.53 |
| 7/1 | 0.05 |
| 7/3 | 0.05 |
| 7/4 | 0.26 |
| 7/5 | 0.05 |
| 9/3 | 0.01 |
| 24 | 0.27 |
| 25/1 | 1.10 |
| 26/1 | 0.15 |
| 26/4 | 0.26 |
| 26/6 | 0.01 |
| 27/1 | 0.08 |
| 31/4 | 0.10 |
| 51 | 0.60 |
| 54/1 | 0.48 |
| 59 | 0.03 |
| 64/1 | 0.15 |
| 64/3 | 0.15 |
| 65/1 | 0.05 |
| 254 | 0.25 |
| 257/2 | 0.10 |
| 258 | 0.18 |
| 271/1 | 0.10 |
| 271/4 | 0.60 |
| 271/6 | 1.01 |
| 272/1 | 0.64 |
| 273/1 | 0.29 |
| 255/1 | 0.10 |
| 256/1 | 0.63 |
| योग 32 | 9.81 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमनेर मोतीनाला डायवर्सन के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्रमांक /भू-अर्जन/2003/3059.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-गायमुख, प.ह.नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.04 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 23 | 0.16 |
| 32 | 0.28 |
| 33/5 | 0.35 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 43/4 | 0.27 |
| 44/1 | 0.30 |
| 48 | 0.24 |
| 49/1 | 0.18 |
| 49/2 | 0.06 |
| 49/5 | 0.06 |
| 49/6 | 0.12 |
| 49/8 | 0.06 |
| 63 | 0.11 |
| 64 | 0.14 |
| 65 | 0.08 |
| 66 | 0.14 |
| 67 | 0.14 |
| 68 | 0.11 |
| 69 | 0.27 |
| 70 | 0.28 |
| 71 | 0.39 |
| 72 | 0.30 |
| योग 21 | 4.04 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुण्डाटोला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 मई 2003

क्रमांक 3331/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-खैरागढ़

(ग) नगर/ग्राम-पिरचाटोला, प.ह.नं. 28/24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.00 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 388 | 0.30 |
| 204 | 0.40 |
| 206/1 | 0.04 |
| 205 | 0.19 |
| 503 | 0.14 |
| 409/1 | 0.07 |
| 211 | 0.02 |
| 196 | 0.02 |
| 207 | 0.04 |
| 210 | 0.04 |
| 548 | 0.12 |
| 203 | 0.26 |
| 202 | 0.02 |
| 201 | 0.04 |
| 200/1 | 0.06 |
| 191 | 0.02 |
| 197 | 0.07 |
| 195 | 0.02 |
| 192 | 0.02 |
| 186 | 0.10 |
| 130 | 0.01 |
| 131 | 0.03 |
| 129/2 | 0.01 |
| 133 | 0.02 |
| 435/1 | 0.10 |
| 407/1 | 0.30 |
| 128 | 0.03 |
| 190 | 0.02 |
| 132 | 0.02 |
| 212/1 | 0.01 |
| 193 | 0.02 |
| 547 | 0.30 |
| 244 | 0.05 |
| 436 | 0.20 |
| 598 | 0.12 |
| 258/1 | 0.02 |
| 224/1 | 0.46 |
| 384 | 0.46 |
| 387/2 | 0.08 |
| 219 | 0.08 |
| 389 | 0.46 |
| 401 | 0.07 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 597 | 0.20 |
| 413 | 0.18 |
| 408 | 0.01 |
| 242 | 0.08 |
| 411 | 0.12 |
| 541 | 0.02 |
| 540 | 0.03 |
| 222 | 0.05 |
| 596 | 0.02 |
| 223/1 | 0.08 |
| 250/2 + 3 | 0.06 |
| 249 | 0.20 |
| 248 | 0.20 |
| 257 | 0.30 |
| 243 | 0.26 |
| 546/1 | 0.04 |
| 505 | 0.43 |
| 593/1 | 0.30 |
| 542 | 0.04 |
| 543 | 0.26 |
| 501/1 | 0.26 |
| योग | 8.00 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिपरिया जलाशय के अंतर्गत धारिया माइनर एवं सब माइनर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2003

क्रमांक 5031/भू-अर्जन/2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सिरसाही, प.ह.नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.86 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 601 | 1.00 |
| 603 | 0.54 |
| 614/1 | 0.40 |
| 605 | 0.25 |
| 606/1 | 1.10 |
| 616/1 | 0.28 |
| 616/2 | 0.28 |
| 614/2 | 0.51 |
| 614/3 | 0.40 |
| 620 | 0.50 |
| 621 | 0.40 |
| 622 | 0.70 |
| 624/1 | 0.50 |
| योग 13 | 6.86 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनकी जलाशय के डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2003

क्रमांक 5032/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-पुरैना, प.ह.नं. 67/8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.84 एकड़

| | खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 257 | 0.05 |
| | 316/2 | 0.10 |
| | 710 | 0.20 |
| | 709 | 0.05 |
| | 740/2 | 0.27 |
| | 1129/2 | 0.17 |
| योग | 6 | 0.84 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनकी जलाशय के अंतर्गत पुरैना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2003

क्रमांक 5033/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-मनकी, प.ह.नं. 67/6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.21 एकड़

| | खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 18/1 | 0.20 |
| | 20 | 0.20 |
| | 116 | 0.10 |
| | 117/1 | 0.53 |
| | 117/3 | 0.36 |
| | 266/3 | 0.28 |
| | 264 | 0.26 |
| | 619 | 0.36 |
| | 340 | 0.20 |
| | 618 | 0.43 |
| | 617 | 0.07 |
| | 327/3 | 1.00 |
| | 272 | 0.37 |
| | 602 | 0.32 |
| | 263 | 0.77 |
| | 539/1 | 0.36 |
| | 597 | 0.40 |
| योग | 17 | 6.21 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनकी जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2003

क्रमांक 5034/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-विष्णुपुर, प.ह.नं. 67/6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-60.18 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 1084 | 0.74 | 510 | 0.10 |
| 1085/1 | 0.14 | 571 | 0.10 |
| 1085/2 | 0.32 | 941 | 0.19 |
| 1086/3 | 0.19 | 946/1 | 0.55 |
| 1086/5 | 0.78 | 950 | 0.10 |
| 1086/4 | 0.23 | 951 | 0.96 |
| 1044 | 0.21 | 554 | 2.31 |
| 964 | 0.54 | 555 | 0.17 |
| 1046 | 0.25 | 566 | 0.71 |
| 965 | 0.65 | 507/1 | 5.06 |
| 925/10 | 0.84 | 507/3 | 0.58 |
| 925/8 | 1.30 | 507/4 | 1.00 |
| 925/5 | 0.54 | 507/5 | 0.87 |
| 572 | 0.20 | 561/1 | 0.09 |
| 558 | 0.20 | 933 | 0.06 |
| 559 | 0.18 | 562 | 0.88 |
| 971 | 0.08 | 563/2 | 0.38 |
| 561/6 | 0.09 | 564 | 0.19 |
| 925/6 | 1.12 | 568 | 0.09 |
| 934 | 0.16 | 563/1 | 0.10 |
| 560 | 0.19 | 565/1 | 1.02 |
| 935 | 0.28 | 565/2 | 0.24 |
| 936 | 0.04 | 570 | 0.10 |
| 938 | 0.03 | 573 | 0.19 |
| 944 | 0.08 | 567 | 1.28 |
| 946/2 | 0.06 | 574 | 0.20 |
| 937 | 0.04 | 576 | 0.40 |
| 945 | 0.08 | 975/3 | 0.27 |
| 948 | 0.14 | 976/1 | 0.25 |
| 939 | 0.06 | 963 | 0.54 |
| 943 | 0.12 | 969 | 0.72 |
| 961/2 | 0.60 | 985/2 | 0.81 |
| 984 | 0.23 | 980/4 | 0.74 |
| 968 | 0.10 | 932/2 | 0.21 |
| 962/1 | 2.09 | 529/1 | 2.37 |
| 962/2 | 0.45 | 529/2 | 0.60 |
| 949 | 0.09 | 522 | 1.65 |
| 569 | 0.10 | 523/1 | 0.10 |
| 940 | 0.06 | 523/2 | 0.45 |
| 942 | 0.11 | 525 | 0.70 |
| | | 524 | 0.53 |
| | | 526 | 0.35 |
| | | 511/2 | 0.25 |
| | | 511/4 | 8.88 |
| | | 507/1 | 5.71 |
| | | 507/6 | 0.32 |
| | | 507/7 | 0.52 |
| | | 507/10 | 2.00 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 452 | 0.50 |
| | 970 | 0.08 |
| योग | 90 | 60.18 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनकी जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2003

क्रमांक 5035/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खुड़मुड़ी, प.ह.नं. 67/7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 एकड़

| | खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 420/1 | 0.11 |
| योग | | 0.11 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनकी जलाशय खुड़मुड़ी मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2003

क्रमांक 5036/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बिल्हारी, प.ह.नं. 67/7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.54 एकड़

| | खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 225 | 0.02 |
| | 226 | 0.02 |
| | 227 | 0.02 |
| | 216 | 0.02 |
| | 1838 | 0.05 |
| | 232 | 0.02 |
| | 229/2 | 0.06 |
| | 228 | 0.03 |
| | 237 | 0.05 |
| | 985 | 0.07 |
| | 1096 | 0.01 |
| | 1006 | 0.02 |
| | 1836 | 0.05 |
| | 2209 | 0.02 |
| | 2198 | 0.03 |
| | 2242 | 0.05 |
| योग | 16 | 0.54 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनकी जलाशय के अंतर्गत बिल्हारी मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2003

क्रमांक 5037/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खैरा, प.ह.नं. 67/7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 425 | 0.03 |
| योग | 0.03 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनकी जलाशय के अंतर्गत खैरा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2003

क्रमांक 5038/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कांकेतरा, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-26.71 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 323 | 0.50 |
| 327 | 0.41 |
| 726 | 1.20 |
| 729 | 0.28 |
| 734/1 | 0.88 |
| 709/1 | 0.30 |
| 712/1 | 0.50 |
| 704 | 1.20 |
| 693/1 | 0.10 |
| 688 | 0.56 |
| 777 | 0.17 |
| 321/2 | 0.15 |
| 329/3 | 0.30 |
| 727 | 0.17 |
| 730 | 0.25 |
| 737 | 1.03 |
| 706/1 | 0.36 |
| 713 | 0.71 |
| 705/1 | 0.35 |
| 693/2 | 0.56 |
| 689 | 0.60 |
| 776/1 | 0.85 |
| 324 | 0.48 |
| 330/3 | 0.62 |
| 331/1 | 0.25 |
| 731 | 0.25 |
| 735/1 | 0.12 |
| 711/1 | 2.25 |
| 714/1 | 0.05 |
| 697 | 1.95 |
| 691 | 0.74 |
| 780 | 0.55 |
| 787/2 | 0.14 |
| 326 | 0.73 |
| 733/3 | 1.00 |
| 728 | 0.27 |
| 733/1 | 0.39 |
| 738 | 1.00 |
| 712/1 | 0.18 |
| 702 | 0.13 |
| 694 | 1.58 |
| 692/2 | 0.68 |
| 778 | 1.40 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 787/1 | 0.52 |
| योग 44 | 26.71 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोरी जलाशय योजना की डूबान एवं उलट नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक 5130/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-रूपाकाठी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.60 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 7/1 | 0.08 |
| 8/1 | 0.16 |
| 8/2 | 0.04 |
| 8/3 | 0.07 |
| 8/4 | 0.30 |
| 10/1 | 0.04 |
| 10/4 | 0.04 |
| 11 | 0.12 |
| 28 | 0.30 |
| 30/1 | 0.08 |
| 30/2 | 0.11 |
| 30/3 | 0.08 |
| 30/4 | 0.08 |
| 30/6 | 0.09 |
| 12/3 | 0.01 |
| योग 15 | 1.60 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघोला-खुर्सीपार मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जुलाई 2002

क्रमांक 5919/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कारूटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-45.49 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 73/2 | 1.35 |
| 74 | 1.25 |
| 75 | 3.20 |
| 76/2 | 2.50 |
| 77 | 0.35 |
| 79/1 | 0.50 |
| 135/3 | 4.25 |
| 364 | 0.04 |
| 366 | 0.02 |
| 367 | 0.29 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 368 | 0.22 |
| 369 | 0.35 |
| 253 | 0.32 |
| 360 | 0.38 |
| 299/2 | 0.13 |
| 117 | 1.26 |
| 118 | 0.60 |
| 119 | 4.50 |
| 133 | 2.80 |
| 135/1 | 3.00 |
| 135/2 | 5.00 |
| 137/3 | 0.19 |
| 137/7 | 0.41 |
| 137/12 | 0.29 |
| 137/16 | 0.14 |
| 137/17 | 0.14 |
| 355/1 | 0.79 |
| 358 | 0.41 |
| 262 | 0.02 |
| 363 | 0.02 |
| 134 | 0.50 |
| 136 | 2.87 |
| 138 | 0.13 |
| 139 | 3.31 |
| 140 | 1.80 |
| 116 | 0.25 |
| 300 | 0.18 |
| 303/2 | 0.07 |
| 304 | 0.07 |
| 305 | 0.41 |
| 309 | 0.27 |
| 376 | 0.61 |
| 258 | 0.29 |
| 362/2 | 0.01 |
| योग | 45.49 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कारूटोला जलाशय एवं नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जुलाई 2003

क्रमांक 5920/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-तोरनकट्टा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 29/1 | 0.10 |
| 19 | 0.15 |
| 40 | 0.45 |
| 34 | 0.05 |
| योग 4 | 0.75 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तोरनकट्टा उद्वहन नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जुलाई 2002

क्रमांक 5921/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-आरला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.87 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 232/9 | 0.35 |
| 232/13 | 0.10 |
| 24/2 | 0.20 |
| 60/2 | 0.10 |
| 24/3 | 0.12 |
| योग 5 | 0.87 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पारीखुर्द उप नहर नाली एवं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 जुलाई 2003

क्रमांक/भू-अर्जन/2003/6278.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुईखदान

(ग) नगर/ग्राम-खैरबना, प.ह.नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.84 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 600/1 | 0.09 |
| 605 | 0.36 |
| 606/1 | 0.19 |
| 606/2 | 0.19 |
| 636 | 0.24 |
| 637/2 | 0.10 |
| 641/4 | 0.07 |
| 642 | 0.20 |
| 648/1 | 0.20 |
| 648/2 | 0.45 |
| 648/3 | 0.25 |
| 649/1 | 0.23 |
| 649/2 | 0.20 |
| 661/1 | 0.07 |
| योग 14 | 2.84 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुरही नहर विस्तार के अंतर्गत खैरा माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 जुलाई 2003

क्रमांक/भू-अर्जन/2003/6280.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुईखदान

(ग) नगर/ग्राम-सिंगारपुर, प.ह.नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.58 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
| --- | --- |
| 15/1 | 0.27 |
| 16 | 0.19 |
| 17 | 0.36 |
| 19 | 0.55 |
| 18 | 0.30 |
| 20 | 0.18 |
| 43 | 0.29 |
| 44 | 0.31 |
| 48/1 | 0.91 |
| 49 | 0.33 |
| 38/1 | 0.29 |
| 71/1 | 1.76 |
| 57/3 | 1.03 |
| 15/2 | 0.27 |
| 15/3 | 0.27 |
| 15/4 | 0.27 |
| योग | 7.58 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुकतरा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जुलाई 2003

क्रमांक 6547/भू-अर्जन/2003/.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-जारवाही, प.ह.नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.36 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
| --- | --- |
| 536/1 | 0.30 |
| 538 | 2.00 |
| 539 | 1.10 |
| 542 | 0.50 |
| 543 | 1.00 |
| 544/1 | 0.40 |
| 544/6 | 0.69 |
| 544/2 | 0.44 |
| 544/4 | 1.44 |
| 544/5 | 1.39 |
| 544/7 | 0.65 |
| 544/3 | 0.37 |
| 545 | 2.59 |
| 546 | 4.00 |
| 547 | 0.56 |
| 549 | 1.94 |
| 531 | 1.10 |
| 532 | 0.39 |
| 534 | 2.50 |
| 535 | 2.00 |
| योग 20 | 25.36 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुरैना जलाशय डूबान क्षेत्र के लिये.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जुलाई 2003

क्रमांक 6548/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-मनकी, प.ह.नं. 68/8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.95 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 221/2 | 0.48 |
| 221/1 | 0.10 |
| 471 | 0.16 |
| 230 | 0.30 |
| 231 | 0.60 |
| 427 | 0.12 |
| 428 | 0.42 |
| 429 | 0.10 |
| 431 | 0.16 |
| 432 | 0.16 |
| 468 | 0.13 |
| 470 | 0.13 |
| 433 | 0.14 |
| 469 | 0.10 |
| 435/2 | 0.16 |
| 435/4 | 0.93 |
| 435/3 | 0.80 |
| 446 | 0.59 |
| 485/1 | 0.83 |
| 447 | 0.50 |
| 458 | 0.48 |
| 452 | 0.40 |
| 457 | 0.45 |
| 456 | 0.25 |
| 449 | 0.37 |
| 467 | 0.16 |
| 476 | 0.14 |
| 483/3 | 0.35 |
| 472/1 | 0.23 |
| 481/2 | 0.16 |
| 483/2 | 0.12 |
| 473/1 | 0.20 |
| 473/2 | 0.12 |
| 473/3 | 0.14 |
| 475 | 0.14 |
| 477/1 | 0.18 |
| 477/2 | 0.19 |
| 479 | 0.18 |
| 481/1 | 0.81 |
| 483/1 | 8.31 |
| 483/4 | 0.56 |
| 483/6 | 0.30 |
| 483/5 | 0.29 |
| 483/7 | 0.22 |
| 485/2 | 0.43 |
| 484/2 | 0.25 |
| 450 | 0.36 |
| 451 | 0.25 |
| योग 48 | 22.95 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुरैना जलाशय के डुबान क्षेत्र के लिए

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जुलाई 2003

क्रमांक 6549/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कोलिहापुरी, प.ह.नं. 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.00 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1020 | 0.05 |
| 1028 | 1.75 |
| 11029 | 0.20 |
| योग 3 | 2.00 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरवाटोला जलाशय के अंतर्गत उलट नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जुलाई 2003

क्रमांक 6551/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सहसपुर, प.ह.नं. 66/5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.39 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 524 | 1.10 |
| 525/3 | 0.08 |
| 525/1 | 0.90 |
| 527 | 0.59 |
| 528 | 0.75 |
| 638 | 0.65 |
| 556 | 0.40 |
| 631/1 | 0.93 |
| 553/8 | 0.05 |
| 636 | 0.42 |
| 637 | 0.25 |
| 641/1 | 0.79 |
| 553/5 | 0.10 |
| 641/3 | 0.25 |
| 641/4 | 0.60 |
| 642/1 | 0.75 |
| 643/3 | 0.10 |
| 640 | 0.85 |
| 642/2 | 1.10 |
| 557 | 0.69 |
| 568 | 0.60 |
| 631/3 | 0.58 |
| 641/2 | 0.65 |
| 631/2 | 1.21 |
| योग 24 | 14.39 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुरैना जलाशय के अंतर्गत उलट नाली एवं बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. के. श्रीवास्तव,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 29 जुलाई 2003

क्रमांक /क/भू-अर्जन/01/अ/82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-सूखापाली, प. ह. नं. 50/25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.77 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 13/2 | 1.82 |
| 15/1 | 0.91 |
| 13/1 | 0.04 |
| योग 3 | 2.77 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सूखापाली जलाशय के उलट निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनिन्दर कौर द्विवेदी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2003

क्रमांक क/ख.लि./2003.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खनि रियायत नियमावली 1960 के नियम 59 के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायानुसार क्षेत्र चूना पत्थर खनिज के खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 दिन पश्चात् खनिपट्टा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 10-4-2003 में दिये गये प्रावधान के अनुसार चूना पत्थर खनिज हेतु 4.00 हेक्टर क्षेत्र से कम क्षेत्र स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जावेगा.

| स.क्र. (1) | ग्राम का नाम (2) | प.ह.नं. (3) | तहसील (4) | ख.नं. (5) | रकबा (6) | अन्य विवरण (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आमाकोनी | 25 | सिमगा | 18/1 | 16.00 एकड़ | श्री मुरलीधर टावरी को स्वीकृत खनिपट्टा लीज निरस्त होने के कारण. |
| 2. | नवापारा | 27 | सिंमगा | 702/1 | 11.60 एकड़ | श्री विनोद चंद मालू को स्वीकृत खनिपट्टा निरस्त होने के कारण. |
| 3. | लालपुर | 95 | रायपुर | 260/2<br>264/2 | 3.463 हेक्टर | श्री आशुतोष तिवारी को स्वीकृत खनिपट्टा निरस्त होने के कारण. |

**सी. के. खेतान,**
कलेक्टर.